



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या- 06/2021/ 449 /77-6-2021-पी-4/2013
लखनऊ: दिनांक 28 जनवरी, 2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के अर्न्तगत लाभार्थी/ संस्था को सीधे ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियामवली-2012(यथासंशोधित) के शासनादेश संख्या-1599/77-6-12-08(एम)/12 टीसी-IV दिनांक 30.11.2012 के प्रस्तर-5(5) में निम्नवत् संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

प्रस्तर संख्या	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियामवली (संशोधन तृतीय), (5)5-के प्रस्तर 2012	5(5)- पिकप/यू0पी0एफ0सी0 ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगे। योजना अन्तर्गत ऋण हेतु धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/ यू0पी0एफ0सी0 को उपलब्ध करायेंगे।	5(5)- पिकप/यू0पी0एफ0सी0 ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगें। वांछित धनराशि की बजट व्यवस्था औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवंटित/स्वीकृत कराकर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर/ अपर संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से आहरित कर पात्र इकाईयों के खाते में सीधे जमा की जायेगी।

- पिकप/यू0पी0एफ0सी0 पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि पात्र लाभार्थी इकाईयों को अनुमन्य ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि राज्य सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार है।
- 2. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियामवली-2012(यथासंशोधित) के शासनादेश संख्या-1599/77-6-12-08(एम)/12 टीसी-IV दिनांक 30.11.2012 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रावधान यथावत् रहेंगी।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-06/2021/ 449 (1)/77-6-2021-पी-4/2013 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/राज्य कर/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू०पी० को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्रुत अभिसूचना को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।
12. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।